

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक-नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/ए-782/2019/

दिनांक

-:आदेश:-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11(7)एफ डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008, एफ 14(88)वित्त(नियम)/2008-। दिनांक 31.12.2009 के उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये निम्न नर्स द्वितीय जिन्होंने 18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है -

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पै बेण्ड एसीपी	देय ग्रेड-पे
1	जगमोहन सिंघल	जयपुर	30.10.93	30.10.11 18 वर्ष	9300-34800	5400

नोट:- उक्त कर्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी सतान हुई है तो यह आदेश लागू पर लागू नहीं होगा।




(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासनिक)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक-नर्सिंग/नर्स-2/एसीपी/ए-782/2019/549

दिनांक 12/06/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उसके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये आवश्यक श्रम करे।
- 4 आदेश/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासनिक)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर